रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052022-235539
CG-DL-E-04052022-235539

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1975] नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2022/वैशाख 14, 1944
No. 1975] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2022/VAISAKHA 14, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2022

का.आ. 2076(अ).—केंद्रीय सरकार सहायताप्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 3 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अधिसूचित करती है कि सहायताप्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय सहायताप्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड की संरचना इस प्रकार है :-

(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष के रूप में, पदेन;

(ख) भारत सरकार के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के प्रभारी सचिव उपाध्यक्ष के रूप में, पदेन;

(ग) डॉ. काकोली घोष दस्तीदार और डॉ. भारतीबेन धीरूभाई शियाल, लोक सभा सदस्य - सदस्य के रूप में, पदेन;

(घ) (i) डॉ. राकेश गुप्ता, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार और

(ii) डॉ. एन. आर. बट्टू, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार सदस्य के रूप में, पदेन;

(ङ) केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, सदस्य के रूप में पदेन;

(च) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बोर्डों के अध्यक्ष (i) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, (ii) आन्ध्र प्रदेश, (iii) पश्चिमी बंगाल और (iv) उत्तराखंड, सदस्य के रूप में पदेन; और

(छ) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सरोगेसी प्रभाग के प्रभारी सदस्य-सचिव के रूप में, पदेन।

[फा. सं. यू.11019/03/2022-एचआर]

गीता नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health Research)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2022

S.O. 2076(E).—In exercise of the power conferred by Section 3 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 and Section 17 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021, the Central Government hereby notifies that composition of National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board for the purposes of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 and the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 is as under :-

(a) the Minister in-charge of the Ministry of Health and Family Welfare as Chairperson, ex officio;

(b) the Secretary to the Government of India in-charge of the Department of Health Research as Vice-Chairperson, ex officio;

(c) Dr. Kakoli Ghosh Dastidar and Dr. Bharatiben Dhirubhai Shiyal, Members of Lok Sabha as Members, ex officio;

(d) (i) Dr. Rakesh Gupta, Joint Secretary, Ministry of Women and Child Development, Govt. of India and

(ii) Dr. N.R. Battu, Joint Secretary and Legislative Counsel, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, Govt. of India as Members, ex officio;

(e) the Director General of Health Services of the Central Government as Member, ex officio;

(f) the Chairpersons of the State/UT Boards (i) Andaman and Nicobar Island, (ii) Andhra Pradesh, (iii) West Bengal and (iv) Uttarakhand as Members, ex officio; and

(g) the Joint Secretary, Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, in-charge of Surrogacy Division as Member-Secretary, ex officio.

[F. No. U.11019/03/2022-HR]

GEETA NARAYAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.04 23:05:54 +05'30'